

प्रेषक

मिशन निदेशक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०।

लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी

उ०प्र०।

पत्र संख्या : SPMU/NUHM/Financial/2016-17/43/8480-75 दिनांक: 27-12-16

विषय- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अरबन आशा एवं लाभार्थियों के भुगतान के सम्बंध में।
महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिन्हित शहरों/कस्बों में अरबन आशाओं के चयन एवं प्रशिक्षण किया जा रहा है तथा अधिकांश शहरों/कस्बों में प्रशिक्षण उपरान्त उनके द्वारा कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया है। इन आशाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति शहरों/कस्बों विशेषकर मलिन बस्तियों में रहने वाली जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किये जाने में विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है। नई बैंकिंग व्यवस्था के अनुसार एन०यू०एच०एम० का खाता जनपद स्तर पर ही संचालित है तथा वर्तमान में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बैंक खाता खोले जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति शहरी क्षेत्रों में भी संचालित विभिन्न गतिविधियों जैसे जे०एस०वाई०, बाल स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाएं एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम इत्यादि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत लाभार्थियों एवं आशा को प्रतिपूर्ति धनराशि राशि दी जानी है, परन्तु एन०यू०एच०एम० के अन्तर्गत नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बैंक खाता न होने के कारण इसका लाभ अरबन आशा एवं लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा है। उक्त के दृष्टिगत अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के सम्बंध में निम्न व्यवस्था की गयी है-

- एन०यू०एच०एम० प्लैक्सीपूल के अन्तर्गत अनुमोदित आशा प्रतिपूर्ति राशि तथा आर०सी०एच० प्लैक्सीपूल के अन्तर्गत अनुमोदित आशा प्रतिपूर्ति राशि का अलग अलग वाउचर बनाया जायेगा।
- अरबन आशा हेतु दिये जाने वाले प्रतिपूर्ति राशि का वाउचर उसके द्वारा किये गये कार्य के आधार पर भरा जायेगा, जिसको ए०एन०एम० द्वारा सत्यापित एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
- एन०यू०एच०एम० के अन्तर्गत जनपद में तैनात डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा प्रत्येक आशा का एन०यू०एच०एम० प्लैक्सीपूल एवं आर०सी०एच० प्लैक्सीपूल के अन्तर्गत किये गये कार्यों के अनुसार भुगतान हेतु धनराशि के अलग अलग वाउचर के अनुसार दोनों प्लैक्सीपूल की अलग अलग सूची तैयार करेंगे। डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा तैयार सूची को अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर एवं नोडल अधिकारी एन०यू०एच०एम० द्वारा परीक्षण कर सत्यापित किया जायेगा।
- जिला मुख्यालय पर संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु माह के अन्त में डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु एन०यू०एच०एम० प्लैक्सीपूल से होने वाले भुगतान की सूची को जनपदीय नोडल अधिकारी एन०यू०एच०एम० के पास तथा आर०सी०एच० प्लैक्सीपूल से होने वाले भुगतान की सूची को ए०सी०एम०ओ० आर०सी०एच० कार्यक्रम अधिकारी के पास जमा करेंगे तत्पश्चात उनके द्वारा जनपद मुख्यालय स्तर पर संचालित एन०यू०एच०एम०/आर०सी०एच० प्लैक्सीपूल के टीयर-1 खाते से सीधे आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य शहरों/कस्बों में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के लिए एन०यू०एच०एम० प्लैक्सीपूल से होने वाले भुगतान की सूची को जनपदीय नोडल अधिकारी एन०यू०एच०एम० के पास तथा आर०सी०एच० प्लैक्सीपूल से होने वाले भुगतान की सूची को ब्लाक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिस इकाई से उस क्षेत्र

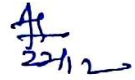
की ग्रामीण आशाओं का भुगतान किया जाता है, भुगतान हेतु प्रेषित की जायेगी। ब्लाक स्तरीय अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी तथा एन0यू0एच0एम0 फ्लैक्सीपूल के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान एन0यू0एच0एम0 फ्लैक्सीपूल के टीयर-1 खाते से सीधे आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

- लखनऊ शहर में 08 बाल एवं महिला चिकित्सालाय एवं प्रसूति गृह नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में संचालित है तथा 52 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। इन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का विभाजन नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुसार किया गया है। अतः लखनऊ शहर में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत कार्यरत आशाओं के आर0सी0एच0 फ्लैक्सीपूल के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान सम्बंधित नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी तथा चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी। एन0यू0एच0एम0 फ्लैक्सीपूल के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान एन0यू0एच0एम0 फ्लैक्सीपूल के टीयर-1 खाते से सीधे आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के अतिरिक्त नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होने वाले प्रसव के लाभार्थियों का भुगतान उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार ही किया जायेगा।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार अरबन आशा एवं लाभार्थियों का भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- आशा पेमेंट वाउचर

भवदीय



(आलोक कुमार)

मिशन निदेशक

पत्र संख्या : SPMU/NUHM/Financial/2016-17/43

तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक चि0 स्वा0 एवं प0 क0 उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
5. समस्त महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
6. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक एन0एच0एम0/मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट एन0यू0एच0एम0 उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक एन0एच0एम0/अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर एन0यू0एच0एम0 उत्तर प्रदेश।

(आलोक कुमार)

मिशन निदेशक

प्रेषक

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उ०प्र०।
लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी
उ०प्र०।

पत्र संख्या : SPMU/NUHM/Financial/2016-17/43

दिनांक: 27-12-16

विषय- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत अरबन आशा एवं लाभार्थियों के भुगतान के सम्बंध में।
महोदय/महोदया,

आप अवगत है कि राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिन्हित शहरों/कस्बों में अरबन आशाओं के चयन एवं प्रशिक्षण किया जा रहा है तथा अधिकांश शहरों/कस्बों में प्रशिक्षण उपरान्त उनके द्वारा कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया है। इन आशाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भौति शहरों/कस्बों विशेषकर मलिन बस्तियों में रहने वाली जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किये जाने में विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है। नई बैंकिंग व्यवस्था के अनुसार एन०यू०एच०एम० का खाता जनपद स्तर पर ही संचालित है तथा वर्तमान में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बैंक खाता खोले जाने की कोई भी व्यवस्था नहीं है।

ग्रामीण क्षेत्रों की भौति शहरी क्षेत्रों में भी संचालित विभिन्न गतिविधियों जैसे जे०एस०वाई०, बाल स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाएं एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम इत्यादि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत लाभार्थियों एवं आशा को प्रतिपूर्ति धनराशि राशि दी जानी है, परन्तु एन०यू०एच०एम० के अन्तर्गत नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बैंक खाता न होने के कारण इसका लाभ अरबन आशा एवं लाभार्थियों को लाभ नहीं मिल रहा है। उक्त के दृष्टिगत अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के सम्बंध में निम्न व्यवस्था की गयी है-

- एन०यू०एच०एम० फ्लैक्सीपूल के अन्तर्गत अनुमोदित आशा प्रतिपूर्ति राशि तथा आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल के अन्तर्गत अनुमोदित आशा प्रतिपूर्ति राशि का अलग अलग वाउचर बनाया जायेगा।
- अरबन आशा हेतु दिये जाने वाले प्रतिपूर्ति राशि का वाउचर उसके द्वारा किये गये कार्य के आधार पर भरा जायेगा, जिसको ए०एन०एम० द्वारा सत्यापित एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।
- एन०यू०एच०एम० के अन्तर्गत जनपद में तैनात डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा प्रत्येक आशा का एन०यू०एच०एम० फ्लैक्सीपूल एवं आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल के अन्तर्गत किये गये कार्यों के अनुसार भुगतान हेतु धनराशि के अलग अलग वाउचर के अनुसार दोनों फ्लैक्सीपूल की अलग अलग सूची तैयार करेंगे। डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा तैयार सूची को अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर एवं नोडल अधिकारी एन०यू०एच०एम० द्वारा परीक्षण कर सत्यापित किया जायेगा।
- जिला मुख्यालय पर संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु माह के अन्त में डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु एन०यू०एच०एम० फ्लैक्सीपूल से होने वाले भुगतान की सूची को जनपदीय नोडल अधिकारी एन०यू०एच०एम० के पास तथा आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल से होने वाले भुगतान की सूची को ए०सी०एम०ओ० आर०सी०एच०/कार्यक्रम अधिकारी के पास जमा करेंगे तत्पश्चात उनके द्वारा जनपद मुख्यालय स्तर पर संचालित एन०यू०एच०एम०/आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल के टीयर-1 खाते से सीधे आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य शहरों/कस्बों में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों हेतु डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के लिए एन०यू०एच०एम० फ्लैक्सीपूल से होने वाले भुगतान की सूची को जनपदीय नोडल अधिकारी एन०यू०एच०एम० के पास तथा आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल से होने वाले भुगतान की सूची को ब्लॉक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लॉक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिस इकाई से उस क्षेत्र

की ग्रामीण आशाओं का भुगतान किया जाता है, भुगतान हेतु प्रेषित की जायेगी। ब्लाक स्तरीय अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी तथा एन0यू0एच0एम0 पलैक्सीपूल के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान एन0यू0एच0एम0 पलैक्सीपूल के टीयर-1 खाते से सीधे आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।

- लखनऊ शहर में 08 बाल एवं महिला चिकित्सालाय एवं प्रसूति गृह नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के रूप में संचालित है तथा 52 नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संचालित है। इन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का विभाजन नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुसार किया गया है। अतः लखनऊ शहर में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अन्तर्गत कार्यरत आशाओं के आर0सी0एच0 पलैक्सीपूल के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान सम्बंधित नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के खाते में स्थानान्तरित की जायेगी तथा चिकित्सा अधीक्षिका द्वारा आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी। एन0यू0एच0एम0 पलैक्सीपूल के अन्तर्गत दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान एन0यू0एच0एम0 पलैक्सीपूल के टीयर-1 खाते से सीधे आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के अतिरिक्त नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होने वाले प्रसव के लाभार्थियों का भुगतान उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार ही किया जायेगा।

उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार अरबन आशा एवं लाभार्थियों का भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक- आशा पेमेंट वाउचर

भवदीय

(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्या : SPMU/NUHM/Financial/2016-17/43/8480-75-8 तददिनांक
प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक परिवार कल्याण उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक चि0 स्वा0 एवं प0 क0 उत्तर प्रदेश।
4. समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
5. समस्त महाप्रबंधक/उपमहाप्रबंधक, एन0एच0एम0, उ0प्र0।
6. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी एन0यू0एच0एम0 उत्तर प्रदेश।
7. समस्त मण्डलीय कार्यक्रम प्रबंधक एन0एच0एम0/मण्डलीय अरबन हेल्थ कन्सल्टेंट एन0यू0एच0एम0 उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक एन0एच0एम0/अरबन हेल्थ कोआर्डिनेटर एन0यू0एच0एम0 उत्तर प्रदेश।

4/2/17
(आलोक कुमार)
मिशन निदेशक